# मध्यप्रदेश विधान सभा

## दिसम्बर, 1993 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

**मंगलवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 1993 (पौष 7, 1915)**

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. शपथ या प्रतिज्ञान

जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, संसद के सदनों द्वारा संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक 1992 को पारित किये जाने से संबंधित लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाहियां तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिये प्राप्त राज्य सभा सचिवालय की सूचना पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बी.आर. यादव, खनिज साधन मंत्री-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 30 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार "दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड," भोपाल का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लेदर डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का छटवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 28 वां एवं 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 पटल पर रखेंगे.

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1987-88 वर्ष समाप्ति दिनांक 30 जून, 1988 के लिये पटल पर रखेंगे.

(ग) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का सोलहवां एवं सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा दिनांक 31 दिसम्बर 1986 एवं दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 पटल पर रखेंगे.

(घ) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड का अट्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री प्रेम नारायण ठाकुर, राज्यमंत्री, परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1990-91 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

**3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण**

(1) सर्वश्री रामलखन शर्मा, रामलखन सिह पटेल (रामपुर बघेलान), सदस्य, सतना जिले के ग्राम कोनिया में डकैती होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बाबूलाल गौर, अखण्ड प्रताप सिंह, मोती कश्यप, सदस्य, खण्डवा जिले के निमाड क्षेत्र में भूकम्प के झटकों से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री, राजस्व, का ध्यान आकर्षित करेंगे.

**4. उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये प्रस्ताव**

श्री विक्रम वर्मा, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि –

"श्री भेरूलाल पाटीदार जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये".

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

**5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा**

**दिनांक 24 दिसम्बर, 1993 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण**

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं" .

**शीला खन्ना**
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 27 दिसम्बर, 1993